

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 337]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

यू.जी.सी. (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017

सं. एफ. 1-4/2016(सीपीपी-I/डीयू).—प्रस्तावना :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ऍफ़) और (जी) के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम-विश्वविद्यालय की एक विशिष्ट श्रेणी बनाने के लिए जिन्हें उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालय संस्थान कहा गया है, समवत विश्वविद्यालय से भिन्न तरीके से विनियंत्रित किया जायेगा ताकि उचित समयाविध में विश्वस्तरीय संस्थान विकसित हो सके। निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम, आवेदन और आरंभ
- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम 2017 कहा जायेगा।
- 1.2 ये विनियम सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत न आने वाले प्रत्येक मौजूदा अथवा प्रस्तावित संस्थान पर लागू होंगे जो इन विनियमों के अंतर्गत उत्कृष्ट सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाना चाहते हैं अथवा घोषणा की मांग करने वाले हैं।
- 1.3 ये विनियम, यथा उल्लिखित सीमा तक सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन समवत विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिन्हें यू.जी.सी. (प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की घोषणा) दिशा-निर्देशों, 2017 के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किया गया है|
- 1.4 ये विनियम अथवा यू.जी.सी (प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की घोषणा) के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश, 2017 के तहत "समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान" के रूप में घोषित किये गये सम-विश्वविद्यालय द्रेष्ठ विनियमों के अंतर्गत अधिनियमित किये जायेंगे और केवल दिशा-निर्देश एवं यू.जी.सी. विनियम, समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान जैसे संस्थानों पर लागू नहीं होंगे।
- 1.5 ये विनियम शासकीय गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभाव में लागू होंगे।

2.0 परिभाषाएँ

इन अधिनियमों में, जब तक सन्दर्भ की आवश्यकता अन्यथा न हो:

- 2.01 "अधिनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (1956 के अधिनियम 3)
- 2.02 "परिसर" से अभिप्रेत समवत विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट संस्थानों के परिसर से है जिसमें भारत में शैक्षणिक सुविधाओं, फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों के साथ-साथ इसकी प्रमुख सुविधाएं शामिल होती हैं|
- 2.03 "आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किसी निश्चित समय विशेष के तहत समवत विश्वविद्यालय के रूप में एक संस्थान को अधिनियमित करने हतु अधिनियम अथवा किसी अन्य शक्ति प्रदाता निकाय के अंतर्गत गठित किया गया हो|
- 2.04 "घटक संस्थान" से अभिप्रेत है प्रायोजक संगठन के प्रशासकीय, शैक्षणिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन कार्यरत संस्थान|
- 2.05 "अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति" से अभिप्रेत है कोई समिति जिसे आयोग द्वारा इन अधिनियमों के अधिनियम 7 द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों को प्रयोग में लाने हेतु गठित किया गया हो|
- 2.06 "शासन" से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार, जब तक सन्दर्भ निर्दिष्ट न किया जाए
- 2.07 दिशा-निर्देश से अभिप्रेत है यू.जी.सी. (प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में सरकारी शिक्षा संस्थानों की घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017.
- 2.08 "संस्थान" से अर्थ है स्नातक, परास्नातक और उच्च स्तर पर उच्च शैक्षिक मानक के अध्यापन और शोध में उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थान.
- 2.09 "समवत विश्वविद्यालय संस्थान" से अर्थ है अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा, आयोग की सिफारिश पर, उच्च शिक्षा हेतु घोषित एक ऐसा संस्थान.
- 2.10 "मंत्रालय" से अर्थ है मानव संसाधन मंत्रालय.
- 2.11 "अधिसूचना" से अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा ऑफिसियल गजट में उच्च शिक्षा हेतु संस्थान के लिए यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में जारी की गई अधिसूचना.
- 2.12 "ऑफ-कैंपस सेंटर" से अर्थ है देश के बाहर स्थित कहीं भी और इसके परिसर से अलग उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय के संस्थान का केंद्र.
- 2.13 "ऑफ-शोर कैंपस" से अर्थ है भारत के बाहर स्थित एवं इसके परिसर से अलग उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय सांस्थानिक परिसर.
- 2.14 "परिचालनात्मक फीस" से अर्थ है वह कर जिसे आवेदक द्वारा इस प्रकार के आवेदन के परिचालन हेतु आवेदन के साथ आयोग को भुगतान किया जाना है.
- 2.14 परिचालन फीस से अर्थ है वे शुल्क जिन्हें ऐसे आवेदन की प्रक्रिया हेतु आवेदन के साथ-साथ आयोग को आवेदक द्वारा जमा किया जाना होता है. परिचालन फीस संसथान के लिए एक करोड़ रूपये होगी जो प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय वाले संस्थान के दर्जे के लिए आवेदन करते हैं. आयोग समय-समय पर इसे संशोधित कर सकता है.
- 2.15 "व्यावसायिक नियामक परिषद्" से अर्थ है एक ऐसी सरकारी निकाय जो किसी समय विशेष के लिए किसी नियम के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा और निकायों से अर्थात भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई), भारतीय दन्त परिषद् (डीसीआई), रह्स्त्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीसी) और भारतीय भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) से संबंधित उच्च शिक्षा के वर्तमान क्षेत्रों में गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने अथवा स्वरुप निर्धारित करने के लिए गठित की जाती है.
- 2.16 "प्रायोजक संगठन" से अर्थ है एक ऐसा निकाय जो कंपनी अधिनियम की धारा, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत समाविष्ट किसी धर्मार्थ अथवा गैर-लाभकारी संस्था अथवा जनट्रस्ट या एक कंपनी के रूप में है।
- 2.17 "समवत विश्वविद्यालय" से अर्थ है एक ऐसा संस्थान इन अधिनियमों के अंतर्गत घोषित किया गया हो और जो यू.जी.सी. (समवत विश्वविद्यालय) अधिनियम, 2016 के तहत "समवत विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित किये गये अन्य से भिन्न हों.
- 3.0 विश्वविद्यालय के लिए उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

- 3.1 उच्चतर शिक्षा का प्रावधान करना, जो स्नातकोत्तर, स्नातक एवं अनुसंधान डिग्री स्तरों पर ज्ञान की ऐसी शाखाओं जैसा भी उपयुक्त हो, में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ाए और डिग्रियां, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक उपाधियां प्रदान करना।
- 3.2 विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों के प्रति विशेष योगदान देने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़ना जहां शैक्षिक आम प्रकृति के कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग होते हैं ये उन क्षेत्रों में उन्नत ज्ञान की अभिप्राप्ति और उसके सृजन के माध्यम से वैश्विक तृतीयक शिक्षा बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए छात्रों एवं अनुसंधानकर्ताओं का क्षमता विकास के अनुरूप होते हैं।
- 3.3 ज्ञान विस्तार उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण एवं अनुसंधान का प्रावधान और विभिन्न विषयों में पर्याप्त पूर्णकालिक संकाय और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपनी ही संस्थाओं में किए गए विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार करना
- 3.4 अन्तर्विषयक क्षेत्रों, जिन्हें देश की कार्यनीतिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है परन्तु, अब तक परम्परागत या मौजूदा संस्थाओं द्वारा उनका शिक्षण नहीं दिया जा रहा है, सिहत ज्ञान के अद्वितीय एवं उभरते क्षेत्रों के शिक्षण और अनुसंधान पर क्षेत्रों के शिक्षण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना और डिग्रिया, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षिक उपल्बियां प्रदान करना;
- 3.5 इस विषय पर लक्षित करना कि समय के साथ संस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व की शीर्ष 100 संस्थाओं में रेटिंग हो।

4.0 प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्था की विशिष्टियां

- 4.1 मौजूदा विश्व ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो सभी प्रसिद्ध रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष स्थान पर रहती है, की ध्यान देने वाली विशिष्टियां निम्नलिखित हैं:
 - i. उच्च अर्हता प्राप्त संकाय पूरे विश्व से उन्हें रखने की स्वतंत्रता सहित;
 - ii. शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता की मौजूदगी;
 - iii. अनुसंधान में उत्कृष्टता;
 - iv. शिक्षण में उच्च गुणवत्ता;
 - v. उच्चस्तरीय निधियन;
 - vi. आवश्यकता आधारित प्रवेश प्रक्रिया को सहायता देने के लिए मेधावी छात्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता;
 - vii. एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का चयन ताकि मेधावी छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित किया जा सके;
 - viii. एक पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात;
 - ix. स्वः अभिशासन अवसंरचना;
 - x. शिक्षण अनुसंधान, प्रशासन और छात्र जीवन के लिए सुसज्जित सुविधाए;
 - xi. समाज के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान; और
 - xii. भूतपूर्व छात्रों से लाभ प्राप्त करने की योग्यता और वैकल्पिक निधियन स्रोत और इन संसाधनों को उपयोग करने की स्वायत्ता
- 4.2 जब किसी संस्था को प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित कर दिया जाता है तब वह संस्था विश्व ख्यातिप्राप्त संस्था बनने के लिए अपने रास्ते चुनने में स्वतंत्र होगी, उन मापदंडों की सांकेतिक सूची, जिनको संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की अधिसूचना तारीख से उचित समय के भीतर पूरा करना होगा, निम्नलिखित है:-
- 4.2.1 यह अधिमानत बहुविषयी अथवा अंतरविषयी होना चाहिए और इसमें काफी उच्च गुणवत्ता के शिक्षण और अनुसंधान दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए|
- 4.2.2 इसे तकनीक और रुचिकर क्षेत्रों के साथ-साथ भारत जैसे देशों में विकास के सरोकारों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों सिहत अंतरविषयी पाठ्यक्रम कराने चाहिए और इन अंतरविषयी क्षेत्रों में डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ भी प्रदान करनी चाहिए।
- 4.2.3 इसमें विदेशी/ विदेश में अहर्ता प्राप्त संकाय पर्याप्त संख्या में हो। विदेशी/ विदेश में अहर्ता प्राप्त संकाय से आशय है:

- क भारतीय नागरिकता से इतर कोई संकाय। अथवा
- ख ऐसा भारतीय नागरिक जिसने विदेश में शैक्षणिक क्षेत्र में पर्याप्त समय बिताया हो और उसकी शैक्षिक योग्यता/अनुभव, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में आने वाले शीर्ष पांच सौ संस्थानों से हो|
- 4.2.4 इसमें भारतीय और विदेशी छात्रों का अच्छा खासा उपयुक्त मिश्रण होना चाहिए
- 4.2.5 प्रवेश में पारदर्शी मेरिट आधारित चयन होना चाहिए ताकि मेधावी छात्र प्राप्त करने पर फोकस बना रहे
- 4.2.6 प्रवेश-प्रक्रिया प्रतिभा आधारित होनी चाहिए-ताकि विशुद्ध योग्यता आधारित प्रवेश मिलने के बाद ऐसे मेधावी छात्र वितीय योग्यताओं की कमी के चलते वंचित न रह जाएँ|
- 4.2.7 किसी संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित करने की अधिसूचना जारी करते समय शिक्षक- छात्र का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए और इसमें समय के साथ इस प्रकार बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए कि इस तारीख से पांच वर्षों के पश्चात यह अनुपात 1:10 से कम न हो। इस प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित संकाय, अनुषंगी संकाय और दीर्घकालिक संकाय (कम से कम तीन वर्ष के लिए) शामिल होता है। इस प्रयोजन के लिए अंशकालिक संकाय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- 4.2.8 वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय वाले संस्थानों के लिए अग्रणी वैज्ञानिक शोध को शुरू करने हेतु जिम्मेदारियों हेतु प्रयोगशाला होनी चाहिए।
- 4.2.9 उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान को विकासशील सोसायटियों के सरोकार के मुद्दों में प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार में भागीदारी करके सामाजिक प्रभाव हासिल करनेका प्रयास किया जाना चाहिए।
- 4.2.10 उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान को सर्वाधिक प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग में आने वाले वैश्विक विश्वविद्यालयों की समुचित संख्या में शिक्षण और अनुसंधान सहयोग विकसित करना चाहिए|
- 4.2.11 (i) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के पास निम्नलिखित होना चाहिए :
 - मौजूदा निजी संस्थान के लिए 60 करोड़ रूपए की प्रारंभिक कायिक निधि, जिसमें दस वर्षों की अविध में 150 करोड़ रूपए की वार्षिक समरूप दर से वार्षिक वृद्धि की जाएगी और अतिरिक्त 500 करोड़ रूपए की विश्वसनीय योजना के साथ-साथ 500 करोड़ रूपए की गारंटित पाइपलाइन होगी।
 - (ख) अभी तक स्थापित किए जाने वाली संस्थाओं के लिए, 60 करोड रूपए की प्रारंभिक कायिक निधि, जिसमें दस वर्षों की अविध में 150 करोड रूपए की वार्षिक समरूप दर से वार्षिक वृद्धि की जाएगी और अतिरिक्त 1000 करोड रूपए की विश्वसनीय योजना के साथ-साथ 500 करोड रूपए की गारंटीकृत पाइपलाइन होगी।
- (ii) निधियों का स्रोत ज्ञात होने चाहिए और यह सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा हेतु उपलब्ध होना चाहिए।
- 4.2.12 विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध होना चाहिए जहां संकाय को सहवर्ती समीक्षित पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशन और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों से अकादिमक रूप से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन पत्रिकाओं में शीर्ष 100 वैश्विक विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए प्रकाशन पर आधारित, प्रतिष्ठित सहवर्ती समीक्षित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक प्रति संकाय सदस्य की औसत दर से अनुसंधान प्रकाशनों का रिकार्ड होना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ:
 - क. अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित कोई दस्तावेज, जो एससीओपीयूएस, वेब साइंस या सदृश अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों में शामिल है, की गणना की जा सकती है।
 - ख. प्रत्येक स्ंकाय द्वारा अपेक्षित प्रकाशन मानदण्डों को पूरा किए जाने की बजाय, पर्याप्त होगा यदि मानदण्ड पूरे संस्थान में औसत तौर पर पूरे किए जाएं।
- 4.2.13 विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान के पास विश्व स्तरीय पुस्तकालय होना चाहिए जिसके पास प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों के क्षेत्रो में प्रतिष्ठित पत्रिकाओं की सदस्यता हो।
- 4.2.14 विश्वविद्यालयवत संस्थान के पास विश्वविख्यात संस्थाओं के साथ तुलनीय छात्र सुविधाएं होनी चाहिए।
- 4.2.15 संस्थान राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद(एनएएसी) या एनएएसी के वैकल्पिक संस्करण द्वारा प्रत्यायित होना चाहिए जो यूजीसी (उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान) अधिनियम, 2017 या इसके संशोधनों के अनुरूप हो और इसका ऐसी कम से कम एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंन्सी द्वारा भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसकी रेटिंग विश्वसनीय हो और व्यापक स्तर पर बेंचमार्क को स्वीकार करती हो। तथापि, संस्थान अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, एनएएसी या एनएएसी के वैकल्पिक संस्करण के संबंध में अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

- 4.2.16 विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान के पास विस्तरण हेतु पर्याप्त स्थान के साथ ही यथोचित बडे स्वामित्व वाला/दीर्घ अवधि पट्टे (कम से कम तीस वर्ष) पर परिसर होना चाहिए।
- 4.2.17 विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान का शासी ढ़ांचा प्रायोजित संगठनों के शासी ढ़ांचे से भिन्न होना चाहिए।
- 4.2.18 विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान में पंद्रह वर्षों की अवधि में कम से कम दस हजार छात्रों का नामांकन होना चाहिए। तथापि, संस्था अपने नामांकन लक्ष्य के रूप में कम आंकड़े प्रदर्शित कर सकता है लेकिन वह यह स्पष्टीकरण देगा कि छात्रों की कम संख्या कैसे उसे विश्वस्तरीय संस्था बनाने में समर्थ बना सकती है।
- 4.2.19 यह प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में घोषित किए जाने पर स्थापना के प्रथम दस वर्षों में विश्व प्रसिद्ध रैंकिंग कार्यढ़ांचे (जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग या क्युएस या शंघाई जियाओ टोंग विश्वविद्यालय) के किन्हीं शीर्ष पांच सौ में होना चाहिए और समय के साथ-साथ अंतत: शीर्ष सौ में स्थान पाने के लिए अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार करना चाहिए।
- 4.3 प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने का आवेदन करने वाले संस्थान को प्रथम पांच वर्ष और 15 वर्षों में विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपने प्रस्ताव में विस्तृत ओर मूर्त कार्य-योजना, विशिष्ट उपलब्धियों और समय सीमा का उल्लेख करना चाहिए जिसके द्वारा यह विनियम 4.2 में निर्धारित प्रत्येक मानदण्ड प्राप्त कना चाहता है।
- 5.0 विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मौजूदा सरकारी स्वामित्व और नियंत्रित सम विश्वविद्यालय की घोषणा संबंधी प्रावधान:
- 5.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को प्रतिष्ठित संस्था घोषित करना) दिशा-निर्देश, 2017 उन मौजूदा सरकारी स्वामित्व और नियत्रंण सम विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो प्रतिष्ठित संस्थान बनना चाहते हैं।
- 5.2 ये संस्थान, दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अनुरोध करेंगे और चयन पक्रिया दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 5.3 क्या ऐसा सम विश्वविद्यालय दिशा-निर्देशों के अंतर्गत "विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान" कहलाने का पात्र होगा।
- 5.4 ऐसी सरकारी स्वामित्व और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के निधियन, अतिरिक्त प्रोत्साहन, निगरानी, प्रत्यायन रैकिंग और शास्ति, दिशा-निर्देशों में दिया गया होगा।
- 5.5 इन विनियमों में दूरस्थ शिक्षा, इकाई के दर्जे और आरक्षण संबंधी प्रावधान, ऐसे सरकारी स्वामित्व और नियंत्रित विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान पर भी लागे होंगे।
- 6.0 विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थाओं का दर्जा प्रदान किए जाने वाले निजी स्वामित्व और नियंत्रित संस्थाओं की घोषणा हेतु पात्रता मानदण्ड।
- 6.1 प्रस्तावित विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान निम्नलिखित प्रावधान पूरा करेंगे:
 - (i) यह एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जिसकी स्थापना निजी सम विश्वविद्यालय के रूप में हुई जो यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2016 के सभी प्रावधानों को पूरा करता हो या जो संशोधित रूप में यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानदण्डों को बनाए रखना और स्थापित करना) के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसी राज्य की विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित हुआ हो; या इसे उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना का पूर्णतया नया प्रस्ताव करना चाहिए।
 - (ii) प्रायोजक संगठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अंतर्गत गठित और गैर-लाभप्रद सोसायटी या सार्वजनिक न्यास या एक कम्पनी होगा।
 - (iii) ग्रीनफील्ड संस्थाओं के लिए प्रायोजित संगठन में सदस्य होना चाहिए जिनकी कुल निवल संम्पति कुल मिलाकर कम से कम पांच सौ करोड रूपए हो। मौजूदा संस्थाओं के लिए, कुल प्रायोजक संगठन के सभी सदस्यों की कुल निवल संम्पति कुल मिलाकर तीन हजार करोड रूपए है।
 - (iv) प्रायोजक संगठन में कम से कम कुछ ऐसे सदस्य होने चाहिएं जिनका प्रत्यय-पत्र, जैसा उनके रिकार्ड से लिया गया है, और अधिकार-प्राप्त विशेषज्ञ समिति की संतुष्टि के लिए इनमें उल्लेख होना चाहिए कि वे विनियम 4 में निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है।

- (v) प्रायोजित संगठन में प्रथम कुलपित और प्रथम कुल अधिपित और कोर टीम होनी चाहिए जो उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना के कार्य का कार्यान्वयन करेगा। इन सभी के पास उच्च अर्हता और व्यापक अनुभव होना चाहिए।
- (vi) विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान के पास कायिक निधि और अन्य वित्तीय स्रोत होना चाहिए जैसा कि विनियम 4.2.11 में विर्निदिष्ट है।
- (vii) विस्तृत प्रंद्रह वर्षीय कार्यनीतिक विजन योजना और एक पंच वर्षीय प्रवाही कार्यान्वयन योजना जिसमें अभिज्ञेय आउटपुट और परिणामों के साथ इस संबंध में स्पष्ट वार्षिक कीर्तिमानों और काय-योजनाएं हों कि नए विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना किस प्रकार की जाए, और इसके पास यह विनियम 4 में यथानिर्धारित उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्राप्त करने हेतु मानदण्ड को पूरा करने की योजना क्या है।
- (viii) विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान का अभिशासन ढांचा प्रायोजित संगठन के अभिशासन ढांचे से भिन्न होना चाहिए। विश्वविद्यालय के शीर्ष शासी निकाय में सदस्य शामिल होने चाहिए जिनके प्रत्यन-पत्र दर्शाते हैं कि वे विनियम 4 में निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने में मदद कर सकते है। विश्वविद्यालय का प्रायोजक संगठन और शीर्ष शासी निकाय, पृथक विकास निगम होने चाहिए, यद्यपि काफी छोटी समयाविध में वांछित परिणाम देने के लिए प्रायोजकों की पूरी प्रतिबद्ध्णता का लाभ उठाने के लिए शीर्ष शासी निकाय में प्रायोजित संगठन में कुछ सदस्य हो सकते हैं। शासी संरचना को दो संगठनों के बीच दूरी के संबंध के प्रति प्रायोजक की प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए।
- (ix) इसके पास यह दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए कि इसके पास अपनी योजनाओं के अनुसार किसी क्षेत्र में (उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अवश्यक नहीं, लेकिन इसको प्राथमिकता देते हूए) योजनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने का अनुभव है।
- (x) यदि संस्था राज्य की विधान सभा द्वारा पारित कानून के अंतर्गत स्थापित हुई है, उन्हें संबंधित राज्य सरकार से एक वचनपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि यदि विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में चुना जाए तो; (i) यदि संस्थान का अभिशासन करने में मौजूदा विधान में कोई निर्गम खण्ड है, तो राज्य सरकार उक्त विधान के अंतर्गत एक संस्थान के रूप में अपना दर्जा वापिस लेगी और विश्वविद्यालयवत प्रतिष्ठित संस्थान बनने की अनुमित देगी या (ii) यदि संस्थान का अभिशासन करने में मौजूदा विधान में ऐसा कोई निर्गम खण्ड नहीं है तो राज्य सरकार उक्त विधान के अंतर्गत एक संस्थान के रूप में अपना दर्जा वापिस लेते हुए राज्य विधान मण्डल में उचित विधान लाएगी।
- (xi) मौजूदा संस्थाओं के मामले में, विनियम 4 में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुपालन के उनके रिकार्ड का चयन करते समय उपयुक्त विचार किया जाएगा।

7.0 अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति:

7.1 नियुक्ति:

अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) में तीन से पांच प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिएं जिन्हें तीन वर्ष की अविध के लिए नियुक्त किया गया हो। सदस्य एक अथवा तीन वर्ष से अधिक की अविध के लिए पुन: नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे। वे उत्कृष्ट और विश्वसनीय व्यक्ति होंगे जिन्होंने शिक्षा, जनता से जुड़े अन्य मुद्दों और सामाजिक विकास में कम से कम 10 वर्षों तक योगदान दिया हो। उनके पास श्रेष्ठता के अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेष और निष्कलंक रिकॉर्ड और जनता के सरोकारों के प्रति निर्विवाद और स्पष्ट प्रतिबद्धता होनी चाहिए। समिति के सदस्यों की नियुक्ति आयोग द्वारा की जाएगी जैसा केन्द्र सरकार द्वारा परार्मश दिया गया है जो मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन लेने के बाद नाम आयोग के पास भेजेगी। खोज समिति जिसमें अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल सचिव और सचिव (उच्चतर शिक्षा) और अध्यक्ष (यूजीसी) के सदस्य के रूप में होंगे की सिफ़ारिश पर नामों का एक पैनल एसीसी को भेजा जायेगा। एसीसी या तो खोज समिति द्वारा संस्तुत नामों का अनुमोदन करेगी या संस्तुत किसी या सभी नामों को प्रतिस्थापित कर सकती है।

7.2 ईसीसी के शक्ति और कार्य:

ईसीसी की शक्ति और कार्य निम्नलिखित है:

(i) मौजूदा निजी संस्थानों द्वारा, जोकि उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किए जाने के इच्छुक है और प्रायोजक संगठनों द्वारा, जोकि नए स्थापित करने के इच्छुक है, प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन करना।

- (ii) आयोग को विनियम 8.4 के अनुसार उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के चयन के प्रयोजनार्थ समीक्षा की संस्तुति करना।
- (iii) विनियम 13 के अनुसार उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान की कार्यान्वयन योजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना।
- (iv) गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान की समीक्षा करना, जैसा विनियम 11.6.2 में दिया गया है।
- (v) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के विकास हेतु दिशा-निर्देश और इसके पर्यवेक्षण के उद्देश्य से ऐसी अन्य निगरानी और समीक्षा प्रणाली विकसित करना।
- (vi) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के संगत प्रत्यायन पर घरेलू प्रत्यायन निकाय के निर्णय के विरूद्ध अपील का निर्णय करना।
- (vii) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान किसी अथवा सभी मूल प्रायोजक से प्रायोजन के अंतरण में परिर्वतन संबंधी निर्णय लेना।
- (viii) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान की कायिक निधि के परिसमापन के संबंध में आयोग को सिफारिश करना।
- (ix) कायिक और अन्य अतिरिक्त प्रत्याभूत और वित्तपोषण की अन्य प्रतिबद्ध वित्तीय आवश्यकताओं के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के लेखा की मांग करना।
- (x) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के लक्ष्यों से विपथन का मूल्यांकन और आयोग को तत्संबंधी शास्तियों की सिफारिश करना।
- (xi) विनियमों में शामिल न किए गए प्रस्तावों की जांच करना और सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करना।
- 8.0 उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने की प्रक्रिया:

8.1 आवेदन आमंत्रित करना

आयोग मौजूदा निजी संस्थान जोकि उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय घोषित करने की इच्छा रखता हो और प्रायोजक संगठन जोकि उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान को स्थापित करने के इच्छुक हों दोनों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवेदन जमा किए जाने की मांग करना। विज्ञापन प्रिंट मीडिया में जारी की जाएगी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। विज्ञापन की तारीख से आवेदन जमा करने के लिए कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाएगा।

8.2 आवेदन

- 8.2.1 मौजूदा निजी सम विश्वविद्यालय संस्थान/ मौजूदा निजी विश्वविद्यालय और संस्थान के प्रायोजक निकाय जिसकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्थापना की जानी है के कुलाधिपति द्वारा तैयार किए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव के पक्ष में एक करोड रूपए के डिमांड ड्राफ्ट की प्रक्रिया शुल्क के साथ जमा करना है। आवेदक को जो उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चयनित नहीं उन्हें 75 लाख रूपए तक की प्रक्रिया शुल्क वापस कर दी जाएगी।
- 8.2.2 प्रत्येक आवेदक के दो भाग होना चाहिए, एक पन्द्रह वर्षीय रणनीतिक दृष्टि योजना के साथ ही पांच वर्षीय कार्यान्वयन योजना। पहले भाग में उत्कृष्ट संस्थान के उद्देश्यों और विशेषताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन रणनीतिक योजना होगा और विनियम 3 और 4 में निर्धारित विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संस्थान में मात्रात्मक....और समय रेखा ...भी होगा। कार्यान्वयन योजना में रणनीतिक योजना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत ठोस वार्षिक कार्ययोजना होना चाहिए।

8.3 दस्तावेज शामिल करना:

प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित (विनियम 1.2 के तहत संस्थानों के वर्ग के अनुसार लागू) दस्तावेज होना चाहिए।

- (क) प्रायोजक सगठन के सदस्यों/निदेशकों का ब्यौरा।
- (ख) प्रायोजक संगठन के मार्गदशक दस्तावेज जैसे (संघ अथवा ट्रस्ट डीड का ज्ञापन) जोकि स्पष्ट रूप से अनुसंधान ओर शिक्षा की मुक्ष्य उद्देश्यों में से एक को निर्धारित करता है।

- (ग) विनियम 6.1 (3) में दिए गए कुल मूल्य संबंधी पात्रता शर्त पूरी करने के लिए समर्थित दस्तावेज।
- (घ) विनियम 6.1(4) में दिए गए कार्मिक और वित्तीय संसाधन पात्रता शर्त पूरी करने के लिए समर्थित दस्तावेज।
- (ङ) उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान के विकास हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित व्यक्तियों सिद्धांत रूप से प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
- (च) शीर्ष बोर्ड सिहत अभिशासन संरचना और प्रस्तावित उत्कृष्ट सम विश्वविद्यालय संस्थान और प्रायोजक संगठन के बीच आपसी संबंधों की प्रवृति।
- (छ) उन कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और प्रमुख दल जो प्रस्तावित प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना कार्य को कार्यान्वित करेंगे के नाम और विवरण।
- (ज) विश्वविद्यालय संस्थान की आधारभूत स्थापना के लिए पांच वर्षीय कार्यान्वयन योजना का विवरण जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाए:-
 - (i) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों और उनको प्रदान करने के कार्यक्रम को दर्शाने वाली शैक्षिक योजना।
 - (ii) संकाय भर्ती नीति एवं योजना जो शैक्षिक योजना आवश्यकताओं को पूरा करती है। संकाय-छात्र अनुपात 1:10 तक संकाय योजना बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। संकाय के एक अनुपात ने उच्च विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन या कार्य किया हो। इसमें उद्योग, सरकार, अलाभवर्जक संगठनों आदि से संकाय संसाधनों को लेने के लिए किसी प्रस्ताव से संबंधित सूचना भी होनी चाहिए।
 - (iii) भारतीय और विदेशी छात्रों का चयन करने और विनियम 4.2.18 में यथा उल्लिखित अपेक्षित स्तर तक नामांकन विस्तार करने के लिए छात्र प्रवेश नीति और योजना। प्रवेश नीति में उन छात्रवृत्तियों जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाएगा कि बिना पर्याप्त वित्तीय क्षमता वाले चयनित मेधावी छात्र वापस न चले जांए के विवरण निहित होने चाहिए।
 - (iv) स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अनुसंधान प्रयोजनाएं और अन्य सुविधाएं को दर्शाने वाली अनुसंधान योजना। मानविकी, सामाजिक विज्ञान और अन्य अन्तर्विषयक सुविधाओं के मामले में अनुसंधान योजना में किये जाने वाले क्षेत्रीय कार्य और अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र और उसकी प्रकृति का जिक्र किया जाना चाहिए।
 - (v) नेटवर्किगं योजना जिसमें निजी क्षेत्र और विदेशी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, विचारकों के साथ शिक्षण, और अनुसंधान सहयोग एवं भागीदारी, जिनका लागू किया जाना प्रस्तावित है, कि रूप रेखा दी गई हो।
 - (vi) अवसंरचना विकास योजना जो प्रस्तावित शैक्षिक एवं प्रवेश योजना के साथ-साथ अन्य सभी छात्र सुविधाओं को पूरा करेगी।
 - (vii) उपर्युक्त योजनाओं को पूरा करने के स्रोत एवं अनुमानित राशि के विवरणों के साथ-साथ उनके प्रस्तावित प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय को अंतरित करने की प्रणाली का विवरण सहित वित्तीय योजना।
 - (viii) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्रत्यायन प्राप्त करने के साथ-साथ उनकी मार्केटिंग और प्रोत्साहन के लिए प्रशासनिक योजना।
 - (ix) एक अभिशासक योजना जिसमें प्रस्तावित प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थान के संस्थागत ढ़ांचे और इसका उल्लेख किया गया हो कि यह स्वामित्व, निर्णयण प्रक्रिया और सामाजिक भागीदारी किस प्रकार परस्पर समाविष्ट करती है। यह अभिशासित योजना पारदर्शिता जबाबदेही और क्षमता के उच्चतम वैश्विक मानकों के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए।
 - (x) सभी योजनाओं के विनियम 03 और 04 में विनिर्धारित उद्देश्यों और विशिष्टताओं को प्राप्त करने के लिए प्रवर्तकों की स्पस्ट प्रतिबद्धता का संकेत दिया जाना चाहिए। और स्पष्ट एवं परिमाणिक विशिष्ट उपलब्धियों (माइलस्टोन) और समय सीमा के साथ कार्यात्मक मदें दी जानी चाहिए।
 - (XI) उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रस्तावित प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थान को पहले पंद्रह वर्षों में विश्वस्तरीय ख्याति का विश्वविद्यालय बनाने के मार्ग पर विश्वसनीयता को स्थिर एवं स्थापित करना होगा।
- (झ) पंचवर्षीय कार्यान्वयन योजना का प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पुन: गठन किया जाएगा ताकि 15 वर्षीय कार्यनितिक योजना में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

- (ञ) यदि प्रस्तावित प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की समय-सीमा के भीतर स्थापना नहीं की जा सकी तो दस करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को खारिज माना जाएगा।
- (ट) शैक्षिक संस्थाओं के लेखापरक मानकों के साथ-साथ लेखाओं, व्यय और पुनः निवेश की डबल स्वतंत्र ट्रैकिंग के कार्यान्वयन की योजना।
- (ठ) राज्य निजी विश्वविद्यालय के मामले में विनियम 6.1 (X) में विनिर्दिष्टानुसार राज्य सरकार से वचन पत्र।
- (ड.) ऐसी कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जैसा कि विज्ञापन/आवेदन प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट किया गया है।

8.4 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान

आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् दो चरणों की अनुमोदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आरंभ में लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करना और अंत में प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा संबंधी आदेश जारी करना। आवेदन को निम्न प्रकार से कार्य किया जाना चाहिएः

- (क) अंतिम तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोग को अग्रेषित किया जाएगा जो उन्हें अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को सौंप देगा।
- (ख) साथ-ही-साथ यदि नई संस्था की स्थापना की जानी है तो आयोग राज्य सरकार से उस स्थान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मांग सकता है और यदि राज्य सरकार की अनापत्ति तीन सप्ताह में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है।
- (ग) अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थान विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शाने वाले किसी अन्य कदम के आधार पर अपना मूल्यांकन करती है। इस मूल्यांकन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की जांच के साथ-साथ प्रायोजक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किए जाते हैं और इसमें फील्ड दौरे भी शामिल हो सकते हैं। अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति, संस्थाओं को अपने प्रस्तावों के अध्ययन, उनके प्रस्तुतीकरण को देखने और जांच के पश्चात् संस्था को योजना में लाने का प्रयास करती है। इसके आधार पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशें करती हैं। ईईसी दस संस्थाओं के अलावा अतिरिक्त संस्थाओं के नाम भी देती है जिन्हें आरक्षित संस्थाओं के रूप में रखा जाता है।
- (घ) अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को आयोग को भेजी जाती है जिन्हें प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया जाना होता है।
- (ड.) सिफारिशों की प्राप्त के दो सप्ताह के भीतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय विनियम 8.4 (घ) के अंतर्गत लेटर ऑफ इंटेट (एलओआई) जारी करेगा।
- (च) जिन संस्थाओं को एलओआई जारी किया गया है, ईईसी उनकी प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेगा ताकि संस्था द्वारा की गई प्रगति समयबद्ध तरीके से हो। संस्थान को एलओआई में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अकादिमिक कार्य आरंभ करने के लिए तैयार होना होगा। यदि ईईसी संतुष्ट है कि किसी भी संस्थान की प्रगित सही नहीं है तो वह संस्थान को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा में स्थिति में सुधार करने को कहता है और यदि इस अविध के अंत तक इसमें सुधार नहीं होता है तो ईईसी उस संस्थान के एलओआई को वापस लेने की सिफारिश कर सकती है। सरकार सिफारिश की जांच करेगी और एलओआईको समाप्त करने का आदेश पारित कर सकती है तथा आरक्षित सूची में अगले संस्थान को एलओआई भी जारी कर सकती है।
- (छ) नई संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा वर्तमान संस्था के मामले में प्रायोजक संगठन इन्हें या तो स्थापित करेगा या अद्यतन करेगा और लेटर ऑफ इंटेट को जारी किए जाने के तीन वर्ष के भीतर योजना के अनुसार अकादिमक कार्य आरंभ करने की इच्छा जताते हैं। अधिकतम छह माह की अविध तक विस्तार के लिए संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आवेदन करेगा, जिसमें विलंब के कारण भी दिए जाएंगे।
- (ज) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अकादिमक कार्यों आरंभ करने का संकेत प्राप्त हो जाने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे आयोग को भेजेगा जो अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ सिमिति को 30 दिनों की अविध में इसका मूल्यांकन करने और आयोग को रिपोर्ट भेजने को कहेगा। अधिकार प्राप्त विशेष सिमिति की रिपोर्ट पंद्रह दिनों के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाएगी जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- (झ) संस्थान यदि चाहे तो तीसरी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से भी मूल्यांकन करा सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा उत्कृष्ट वैश्विक रैंकिंग सूचकांक में शीर्षस्थ सौ संस्था से कम-से-कम 10 संस्थाओं को प्रत्यायित किया गया है। अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति और स्वतंत्र मूल्यांकन में यदि कोई अंतर होता है तो अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति प्रस्ताव की पुनः जांच करेगी और इसका निर्णय अंतिम होगा।

- (ञ) आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत संस्था के चयन का आदेश जारी करेगा।
- (ट) प्रायोजक संगठन को जारी आशय पत्र अहस्तांतरणीय है। प्रायोजक संगठन की बनावट नहीं बदली जा सकती है। विशिष्ट परिस्थितियों में, यदि नए सदस्य/सदस्यों विनियम 6.1(iv) में दी गई शर्तें पूरी करते हैं तो प्रायोजक संगठन के रचना में परिवर्तन किया जा सकता है। ईईसी लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करने हेतु अनुमति दे सकती है।

8.5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

प्रत्येक प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान हेतु कार्यनीति और कार्यान्वयन योजनाओं को समझौता ज्ञापन (एमओयू) में बदला जाएगा जो इस अवधि के दौरान संस्था को विकास हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। नई कार्यान्वयन योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रति पांच वर्ष इसमें संशोधन किया जाएगा। राज्य की विधान सभा द्वारा पारित विधान के अंतर्गत वर्तमान निजी विश्वविद्यालय के मामले में ऐसे समझौता ज्ञापन पर तभी हस्ताक्षर किए जाएंगे जब वह निजी विश्वविद्यालय नहीं रहा जाएगा।

8.6 अधिसूचना

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् सरकार तीस दिनों के भीतर संस्थान को प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करते हुए अधिसूचना जारी करेगी। यदि यह सम विश्वविद्यालय विद्यमान हैं तो इस अधिसूचना का अर्थ होगा कि संस्था यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय नहीं रहा बल्कि इस विनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान बन जाएगा।

9.0 अभिशासन प्रणाली

9.1 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की अभिशासी संरचना प्रायोजित संगठनों की अभिशासी संरचना से भिन्न होनी चाहिए। प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की सर्वोच्च शासी निकाय में ऐसे सदस्य/निदेशक शामिल होने चाहिए जिनके परिचय पत्र यह दर्शाते हों कि वे केवल किसी निकाय के प्रतिनिध मात्र न होकर विनियम 4 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। प्रायोजक संगठन तथा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय में प्रायोजक संगठन के कुछ सदस्य शामिल हो सकते हैं जो प्रायोजकों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध हों और अल्प समय में वांछित परिणाम दे सकें। अभिशासी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि दोनों इकाइयों में बेहतरीन संबंध सुनिश्चित किए जा सकें।

10.0 निधियन

विद्यमान निजी संस्थानों जिन्हें प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया है अथवा योजना के अंतर्गत नए स्थापित प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय निजी संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का निधियन नहीं किया जाएगा तथापि इससे उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अध्ययनों/परियोजनाओं के लिए आबंटित सरकारी निधियां के उपयोग पर कोई रोक नहीं होगी।

11.0 अतिरिक्त प्रोत्साहन

उपरोक्त प्रक्रिया से चयनित प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन इन विनियमों के अधीन सभी प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को उपलब्ध होंगे। इस प्रकार इन प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्य के तहत सक्षम विनियामक संरचना पूर्ति के लिए प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित होने के बाद ये विनियमों के उपबंधों से संचालित होंगे। विशेष तौर पर इस प्रकार के प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों को यूजीसी विनियमों तथा अन्य दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं तथा इन विनियमों के विनियम 11.1 से 11.6 में निर्धारित मामलों से संबंधित आदेशों से छूट होगी।

11.1 दाखिले तथा फीस की संरचना

- 11.1.1 घरेलू विद्यार्थियों का चयन पारदर्शी योग्यता आधारित प्रणाली (जिसे प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान स्वयं डिजाइन कर सकते हैं) से किया जाएगा जबिक प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थियों को अपनी आंतरिक नीतियों के अनुरूप योग्यता के आधार पर दाखिला देने के लिए स्वतंत्र होंगे बशर्ते इनकी संख्या दाखिला प्राप्त घरेलू विद्यार्थियों की संख्या से अधिकतम 30% अतिरिक्त ही होगी।
- 11.1.2 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान अपनी आंतरिक नीतियों के अनुरूप घरेलू तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिए फीस का निर्धारण कर सकेगा तथा इसे किसी भी प्रभावी फीस विनियमावली से प्राप्त होगी। तथापि विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का निर्धारण बिना कोई प्रभार छिपाए पारदर्शिता एवं स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए। इसके अलावा केपिटेशन फीस लेना भी निषिद्ध है तथा इस प्रकार लिए जाने वाले प्रभारों की किसी भी घटना को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- 11.1.3 विदेशी विद्यार्थियों से बिना किसी प्रकार की रोक के फीस प्रभारित की जा सकती है लेकिन घरेलू विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस निर्धारित करते समय इस शर्त का पालन करना होगा कि कोई भी विद्यार्थी जिसे योग्यता के आधार पर दाखिला मिला है वित्तीय सुविधा के अभाव में छोड़कर न जाए। इसके लिए प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान छात्रवृत्ति और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ कार्यक्रम बनाएगा जिससे यह हो सके कि विद्यार्थी बिना किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई के उच्चतर अध्ययन जारी रख सकें।
- 11.1.4 चूंकि ऐसे प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर कोई विद्यमान विनियम दिशा-निर्देश लागू नहीं होता, उन्हें विद्यार्थियों की शिकायतों और अनुचित व्यवहारों के आरोपों संबंधी शिकायतों यदि कोई हो, के निराकरण के लिए लोकपाल की स्थापना करनी होगी। लोकपाल से संपर्क संबंधी विवरण प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की वेबसाइट, विवरण पत्र और इसके परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

11.2 पाठ्यक्रम निर्धारण में लचीलापन

- 11.2.1 संस्थान को अपनी शासी परिषद् के अनुमोदन तथा मुख्यतः प्रचलित न्यूनतम मानकों के अनुरूप कार्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण तथा डिग्री प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। इसके लिए आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उसके इसकी सूचना देनी होगी।
- 11.2.2 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपनी शासी परिषद् के अनुमोदन तथा प्रधानतः प्रचलित न्यूनतम मानकों के अनुरूप डिग्री लेने के लिए क्रेडिट आवर्स और वर्षों की संख्या निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित करने की छूट होगी।
- 11.2.3 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान यूजीसी की अनिवार्य पाठ्यचर्या संरचना की बाध्यता के बिना पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करने की छूट होगी।
- 11.2.4 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपने कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करने की छूट होगी (बशर्ते कि यह किसी कार्यक्रम की 20% की सीमा में हो) तथापि 20% की इस बाध्यता के कारण प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान को प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्णतया ऑनलाइन मोड में प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी।

11.3 संकाय की भर्तीः

- 11.3.1 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान भारत तथा विदेश से संकाय की भर्ती कर सकता है। इसके लिए दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वे अत्यंत प्रतिभावान व्यक्ति हों चाहे वे कहीं से भी हों और वे नए नए विचारों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हों।
- 11.3.2 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान को संकाय की नियुक्ति, पदोन्नतियों आदि अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप उनके परिलब्धियों तथा अनुलब्धियों के निर्धारण में यथोचित पूर्ण स्वायतता होगी।
- 11.3.3 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान अपने संकाय सदस्यों के लिए कोई भी कैरियर विकास योजना अपनाने के लिए स्वतंत्र होने तक इन प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों में संबद्ध यूजीसी कैरियर विकास योजना तथा इससे संबंधित विनियम स्वतः लागू नहीं होंगे।
- 11.3.4 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान, उद्योग से इस प्रकार के संकाय हायर कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। भले ही उनके पास अपेक्षित उच्चतर शैक्षिक योग्यता न हो।

11.4 शैक्षणिक सहयोगः

- 11.4.1 विदेश मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नकारात्मक सूची वाले देशों के संस्थाओं को छोड़कर, विश्व रैंकिंग में शीर्ष 500 में रैंक प्राप्त विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थाओं के साथ अकादिमक सहयोग सरकारी अनुमोदन से मुक्त किए जाएंगे।
- 11.4.2 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान देश में स्थित संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग प्राप्ति करार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

11.5 वित्तीय स्वायतताः

- 11.5.1 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान प्राप्त एवं आबंटित संसाधनों के व्यय की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
- 11.6 निरीक्षणः
- 11.6.1 इन प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर यूजीसी के विद्यमान निरीक्षण विनियम लागू नहीं होंगे।

11.6.2 तथापि प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतः प्रकटीकरण एवं समीक्षा मशीनरी बनानी चाहिए। इसकी समीक्षा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की जानी चाहिए। समिति यदि जरूरी समझे तो अंतर्राष्ट्रीय रैंक वाले संस्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के विशेषज्ञों की टीमों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

12.0 शिकायत निवारण प्रणाली

प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान विद्यार्थियों तथा संकाय की शिकायतों तथा अनुचित व्यवहारों के आरोपों से निपटने के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। चयनित लोकपाल संस्थान अथवा विद्यमान हाल ही के प्रबंधन से होना चाहिए तथा लोकपाल की नियुक्ति से पूर्व इसके लिए अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सहमति प्राप्त की जाएगी। लोकपाल से संपर्क संबंधी विवरण कैम्पस, प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की वेबसाइट के होमपेज तथा विवरणी पत्र में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

13.0 निगरानी एवं समीक्षा

- 13.1 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थानों की उनकी 15 वर्षों की नीतिगत योजनाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की अनुपालन स्थित की मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा तीन वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी। निगरानी और समीक्षा की यह कार्यवाही प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान के लगातार दो वर्षों तक विश्व की शीर्ष एक सौ विश्वविद्यालयों में शामिल होने तक अथवा पंद्रह वर्ष की अविध तक जो भी पहले हो जारी रहेगी।
- 13.2 तथापि, ये संस्थान समिति द्वारा कार्यान्वयन तथा नीतिगत योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति स्थिति से प्रत्येक वर्ष अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को अवगत कराएंगे।
- 13.3 अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की प्रगति हेतु मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से विशेष तौर पर प्रारंभिक वर्षों में इस प्रकार की अन्य निगरानी एवं समीक्षा प्रणाली विकसित करेगी।
- 13.4 इसके अलावा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति यह अपेक्षा रख सकती है कि ये संस्थान अपनी कार्यान्वयन तथा नीतिगत योजनाओं के अनुपालन संबंधी कुछ सूचनाओं की वार्षिक आधार पर स्वयं रिपोर्ट करें तथा इन्हें सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित करें।
- 13.5 वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जून तक पूर्ण हो जानी चाहिए।
- 13.6 समिति, कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही के लिए सुझाव देगी। प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान इन कमियों को समुचित समयाविध में दूर करने हेतु उपाय करेंगे।

14.0 प्रत्यायन एवं रैंकिंग

- 14.1 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपनी अधिसूचना से 5 वर्षों के भीतर विनियम 4.2.15 के अनुरूप प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।
- 14.2 प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान इसे प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने की अधिसूचना जारी होने के पांच वर्षों के भीतर स्वयं को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में तथा प्रतिष्ठा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में स्थापित करेगा। एक विद्यमान संस्थान जिसे प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया है को इस आशय का पत्र प्राप्त होने के वर्ष से ही रैंकिंग प्राप्त करना प्रारंभ करना होगा। सभी संस्थान तत्पश्चात् स्वयं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंकिंग प्राप्त करेंगे।

15.0 आरक्षण नीति

सार्वजनिक प्रतिष्ठित संस्थान दाखिलों तथा भर्ती में वर्तमान में प्रभावी संसद के किसी अधिनियम के अनुरूप आरक्षण नीति को लागू करेंगे।

16.0 एकात्मक संस्थान

प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान एकात्मक सम विश्वविद्यालय संस्थान होंगे और ये किसी अन्य संस्थान को संबद्ध नहीं करेंगे।

17.0 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग

ये संस्थान अपने नाम के अंत में 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वे अपने नाम के अंत में कोष्ठक में "प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान" वाक्यांश लिख सकेंगे।

18.0 नामावली में कुछ शब्दों के प्रयोग पर रोक

प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान को अपने-अपने नामों में "राष्ट्रीय" अथवा "राष्ट्रीय संस्थान" शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित न किया गया हो।

19.0 दूरस्थ शिक्षा

प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप बिना किसी अनुमित के दूरस्थ मोड में पाठ्यक्रम संचालित/प्रदान कर सकते हैं। यह उपबंध सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाले सम विश्वविद्यालयों जिन्हें यूजीसी (प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की घोषणा) दिशा-निर्देश 2017 के अधीन प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किया गया है, पर भी लागू होंगे।

20.0 समूह (कारपस) निधि

- 20.1 यदि प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में नहीं है तो विनियम 4.2.11 में यथा उल्लिखित समूह (कारपस) निधि सृजित की जाएगी तथा इसे प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम से स्थायी रूप से संचालित/रखा जाएगा।
- 20.2 समूह (कारपस) निधि का अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की पूर्व अनुमति के बिना परिसमापन नहीं किया जाएगा।
- 20.3 समूह (कारपस) निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान के विकास के लिए किया जा सकेगा।
- 20.4 अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान के लेखों को कारपस और अन्य अतिरिक्त गारंटी प्राप्त तथा प्रतिबद्ध वित्त पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपालन के सत्यापन हेतु मांग सकती है। प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान दर्जा की घोषणा के आहरण की स्थिति में आधारभूत निधी दायित्वों की पूर्ति, यदि कोई हो (पेनल्टी को शामिल करके) के लिए आयोग के पास जब्त रहेगी और एक वर्ष के भीतर दायित्वों की पूर्ति के पश्चात् शेष लौटा दी जाएगी।

21.0 शास्तियां

- 21.1 यदि प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान पांचवे वर्ष के अंत में और अनुवर्ती वर्षों में लक्ष्यों की पूर्ति करने में असमर्थ हैं और गंभीर अंतर है जैसा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया गया है, कार्यान्वयन योजना से अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति यूजीसी को उपयुक्त सिफारिशें कर सकती है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन विनियमों के अधीन कार्रवाई करने हेतु भेजेगा।
- 21.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी द्वारा अग्रेषित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कार्रवाई कर सकता है:
- क) इन विनियमों के अधीन इसे दिए गए कोई या सभी अतिरिक्त प्रोत्साहनों का आहरण करना।
- ख) प्रतिष्ठित दर्जे की संस्था को बदलकर साधारण समवत विश्वविद्यालय स्थिति बनाना, जिसमें इसे यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2016 के अंतर्गत स्थापित माना जाएगा।
- ग) प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय दर्जे की संस्था को हटाना और इसे किसी मौजूदा राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए कहना।
- घ) वर्षों की विशिष्ट संख्या के लिए प्रवेश को रोकना।

22. लेखापरीक्षा

प्रतिष्ठित सम विश्वविद्यालय संस्थान की लेखा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने के नौ माह के भीतर आयोग को भेजी जाएगी। इस विनियम के उद्देश्यों के लिए "चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ वही होगा जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में निहित है।

23. विविधः

- 23.1 किसी भी उपबंधों के कार्यान्वयन के दौरान आई किसी कठिनाई की स्थिति में सरकार कठिनाई को दूर करने के आशय से विनियम में कोई परिवर्तन न करते हुए उपयुक्त स्पष्टीकरण दे सकती है।
- 23.2 अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति विनियमों में कवर नहीं किए गए मुद्दों से संबंधित प्रस्तावों की जांच करेगी और सक्षम प्राधिकारियों से इनकी सिफारिशें करेगी।

23.3 यूजीसी सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय सहित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को शामिल करके कार्यक्रम को सभी सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा। अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की वृद्धि के कारण हुए व्यय को भी यूजीसी वहन करेगा। पदों के सर्जन के लिए कोई उपबंध नहीं होगा।

पी. के. ठाकुर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./205/17]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017

No. F. 1-4/2016(CPP-I)/DU.—PREAMBLE:

To create a distinct category of Deemed to be Universities, called Institutions of Eminence Deemed to be Universities, which would be regulated differently from other Deemed to be Universities so as to evolve into Institutions of world class in a reasonable time period, the University Grants Commission, in exercise of powers conferred under Clauses [f] & [g] of Sub-Section [1] of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, hereby, makes the following Regulations, namely:-

1.0 SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

- 1.1 These Regulations may be called the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- These Regulations shall apply to every existing or proposed Institution, not owned or controlled by Government, seeking declaration or having been declared as an Institutions of Eminence Deemed to be University under these Regulations.
- 1.3 These Regulations shall also apply to Government owned and controlled Deemed to be Universities which have been declared Institutions of Eminence under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017, to the extent mentioned in these Regulations.
- 1.4 The Deemed to be Universities declared as "Institutions of Eminence Deemed to be Universities" under these Regulations or under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 shall be regulated under these Regulations and Guidelines only and the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 shall not apply to such Institutions of Eminence Deemed to be Universities.
- 1.5 These Regulations shall come into force with effect from the date of their notification in the Official Gazette.

2.0 **DEFINITIONS**

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- 2.01 "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 [Act 3 of 1956].
- 2.02 "Campus" means Campus of the Institutions of Eminence Deemed to be University, wherein its major facilities including academic facilities, faculty, staff, and students are located in India.
- 2.03 "Commission" means the University Grants Commission (UGC) constituted under the Act or any other body empowered to regulate an institution deemed to be university under any law for the time being in force.
- 2.04 "Constituent Institution" means an Institution operating under the administrative, academic and financial control of the Sponsoring Organization.
- 2.05 "Empowered Experts Committee" means a Committee constituted by the Commission to exercise the powers conferred by Regulations 7 of these Regulations.

- 2.06 "Government" means the Central Government, unless the context so specifies.
- 2.07 "Guidelines" means UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.
- 2.08 "Institution" means an Institution for higher education engaged in teaching and research of high academic standards at the undergraduate, post-graduate or higher levels.
- 2.09 "Institution Deemed to be University" means an Institution for higher education so declared, on the recommendation of the Commission, by the Central Government under Section 3 of the Act.
- 2.10 "Ministry" means Ministry of Human Resource Development.
- 2.11 "Notification" means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring an Institution for higher education, as an Institutions of Eminence Deemed to be University, under Section 3 of the UGC Act, 1956.
- 2.12 "Off-Campus Centre" means a centre of the Institutions of Eminence Deemed to be University beyond its Campus and located elsewhere in the country.
- 2.13 "Off-Shore Campus" means a campus of the Institutions of Eminence Deemed to be University beyond its Campus and located outside India.
- 2.14 "Processing Fee" means the charges that have to be paid by the applicant Institution to the Commission along with the application for processing such application. The Processing Fee shall be Rupees one crore for Institutions which apply for the status of Institutions of Eminence Deemed to be University. The Commission may revise it from time to time.
- 2.15 "Professional Regulatory Council" means a body constituted under any law for the time being in force for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education pertaining to professional education and bodies such as Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE) and Bar Council of India (BCI), etc.
- 2.16 "Sponsoring Organization" means a body being a charitable or a not-for-profit Society or a public Trust or a Company incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013 making an application to upgrade its existing Institution Deemed to be University into an Institutions of Eminence Deemed to be University or to establish a new Institutions of Eminence Deemed to be University.
- 2.17 "Institutions of Eminence Deemed to be University" means an Institution declared as such under these Regulations and which shall be distinct from "Deemed to be Universities" declared under UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.
- 3.0 **OBJECTIVES OF INSTITUTIONS OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITIES**The objectives of Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be:
- 3.1 to provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit at post-graduate, graduate and research degree levels and award degrees, diplomas and other academic distinctions;
- 3.2 to engage in areas of specialization to make distinctive contributions to the objectives of the university education system wherein the academic engagement is clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature and is tuned to developing the capacity of the students and the researchers to compete in the global tertiary education marketplace through the acquisition and creation of advanced knowledge in those areas;
- 3.3 to provide for high quality teaching and research and for the advancement of knowledge and its dissemination through various research programmes undertaken in- house by substantial number of full time faculty and research scholars in diverse disciplines;
- 3.4 to pay special attention to teaching and research in unique and emerging areas of knowledge, including interdisciplinary areas, which are regarded as important for strategic needs of the country but are not being pursued by conventional or existing institutions so far, and award degrees, diplomas and other academic distinctions.

- 3.5 to aim to be rated internationally for its teaching and research as a top hundred Institution in the world over time.
- 4.0 CHARACTERISTICS OF INSTITUTIONS OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITIES
- 4.1 Notable features present in existing international institutions of global repute, which figure at the top in all reputed ranking frameworks, include the following:
 - i. Highly qualified faculty, with freedom to hire from across the world;
 - ii. Existence of academic, administrative and financial autonomy;
 - iii. Excellence in research;
 - iv. High Quality of teaching;
 - v. High levels of funding;
 - vi. Adequate financial assistance to meritorious students to support a need-blind admissions process;
 - vii. Selection of students through a transparent system so as to ensure intake of meritorious students;
 - viii. A significant proportion of international students;
 - ix. Autonomous governance structures;
 - x. Well-equipped facilities for teaching, research, administration, and student life;
 - xi. Tangible and intangible contribution to the society; and
 - xii. Ability to leverage alumni and alternative funding sources, and the autonomy to utilize these resources
- While an Institution declared as an Institution of Eminence Deemed to be University is free to choose its path to become an institution of global repute, an indicative list of parameters, the institute should satisfy within a reasonable time from the date of notification declaring it as an Institution of Eminence Deemed to be University are as follows:
 - 4.2.1 It should preferably be multi-disciplinary or inter-disciplinary and have both teaching and research focus of an exceptionally high quality.
 - 4.2.2 It should offer inter-disciplinary courses, including in areas of emerging technology and interest as well as those of relevance to the development concerns of countries like India and also award degrees, diplomas and other academic distinctions in such interdisciplinary areas.
 - 4.2.3 It should have a good proportion of foreign or foreign qualified faculty. Foreign / foreign qualified faculty means:
 - Any faculty of non Indian citizenship. Or
 - b. Any Indian citizen who has spent considerable time in academics in a foreign country, with his academic qualification /experience from top 500 Institutions figuring in a reputed world ranking.
 - 4.2.4 There should be a reasonably good mix of Indian and foreign students.
 - 4.2.5 There should be a transparent merit based selection in admissions, so that the focus remains on getting meritorious students.
 - 4.2.6 The admission process should be need-blind so that once a student gets admission purely on merit, such a meritorious student should not be turned away for lack of financial ability.
 - 4.2.7 The faculty student ratio should be not be less than 1:20 at the time of notification issued declaring an Institution as an Institution of Eminence and should increase over time so as not to be less than 1:10 after five years of this date. The faculty for this purpose includes the regular

- faculty, adjunct faculty, and long term faculty (for at least three years). Part time faculty shall not be counted for the purpose.
- 4.2.8 There should be laboratory facilities to undertake cutting-edge scientific research for those Institutions of Eminence Deemed to be Universities doing scientific research. In case of humanities, social science and other interdisciplinary areas, the faculty should be engaged in research and field work in frontier areas using the latest methodologies.
- 4.2.9 The Institution of Eminence Deemed to be University should strive to achieve social impact by engaging in applied research and innovation in issues of concern to developing societies.
- 4.2.10 The Institution of Eminence Deemed to be University should develop teaching and research collaborations with a reasonable number of global universities figuring in the most reputed global rankings.
- 4.2.11 (i) The Institution of Eminence Deemed to be University should have:
 - a) For existing private Institution, an initial corpus fund of Rupees 60 crore which would be increased at an annual uniform rate to Rupees 150 crore in ten years time and guaranteed pipeline of Rupees 500 crore, along with a credible plan for additional Rupees 500 crore.
 - b) For yet to be established institutions, an initial corpus fund of Rs 60 crore which would be increased at an annual uniform annual rate to Rs 150 crore in ten years time and guaranteed pipeline of Rs 500 crore, along with a credible plan for additional Rs 1000 crore.
 - (ii) The source of funds should be known and should be available for scrutiny by competent authorities.
- 4.2.12 The Institution of Eminence Deemed to be University should be known for promoting a culture where faculty are encouraged to publish regularly in peer-reviewed journals and engage academically with the issues of concern to the society. It should have a record of research publications at the mean rate of at least one per faculty member each year in reputed peer-reviewed international journals based on publication made by top 100 global Universities in these journals. For this purpose:
 - a. Any paper published in international publications which are included in SCOPUS, Web Science or similar international agencies can be counted.
 - b. Instead of every faculty required to be satisfying the publication criteria, it would be enough if the parameters is satisfied as an average across the institution.
- 4.2.13 The Institution of Eminence Deemed to be University should have a world-class library with subscriptions to reputed journals in the areas of courses it is offering.
- 4.2.14 The Institution of Eminence Deemed to be University should have student amenities comparable with that of globally reputed institutions.
- 4.2.15 The Institution should be accredited by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or an alternative version of NAAC which conforms to UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 or its amendments and also be assessed by atleast one reputed international accreditation agency, one whose ratings are a credible and widely accepted global benchmark. The Institution may however appeal on accreditation of NAAC or alternative version of NAAC to the Empowered Experts Committee, whose decision shall be final.
- 4.2.16 The Institution of Eminence Deemed to be University should have reasonably large owned / long term leased (at least thirty years) campus with adequate space for expansion.
- 4.2.17 The governance structure of the Institution of Eminence Deemed to be University should be distinct from the governance structure of the Sponsoring Organization.
- 4.2.18 The Institution of Eminence Deemed to be University should achieve a student enrolment of at least ten thousand over a period of fifteen years. However, the institutions may project a lower

- figure as its enrolment target with justification on how that enrolment figure would enable it to become a world class university.
- 4.2.19 It should come in top five hundred of any of the world renowned ranking frameworks (such as the Times Higher Education World University Rankings or QS or Shanghai's Jiao Tong University) in the first ten years of setting up on being declared as Institution of Eminence, and having achieved top five hundred rank, should consistently improve its ranking to come in the top one hundred eventually over time.
- 4.3 The Institution giving an application to be declared as an Institution of Eminence, should in its proposal mention the detailed and tangible action plan, milestones, and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters laid down in Regulation 4.2, mentioning milestones to be achieved in first five years and over 15 years.

5.0 PROVISION REGARDING DECLARATION OF AN EXISTING GOVERNMENT OWNED AND CONTROLLED DEEMED UNIVERSITY AS AN INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITY

- 5.1 The UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines 2017 would apply to existing Government owned and controlled Deemed to be University which seeks to become Institution of Eminence.
- 5.2 Such an Institution will have to apply to MHRD as per the provisions given in the Guidelines and the selection procedure would be as per the provisions given in the Guidelines.
- 5.3 If such Deemed to be University is declared as an Institution of Eminence under the Guidelines, then it would be eligible to be called "Institution of Eminence Deemed to be University".
- 5.4 The funding, additional incentives, monitoring, accreditation ranking and penalty, of such Government owned and controlled Institutions shall be as provided for in the Guidelines.
- Provisions in these Regulations regarding distance education, unitary status and Reservation would also apply to such Government owned and controlled Institution of Eminence Deemed to be University.

6.0 ELIGIBILITY CRITERIA FOR DECLARATION OF A PRIVATELY OWNED AND CONTROLLED INSTITUTIONS TO BE CONFERRED THE STATUS OF INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITY

- 6.1 The proposed Institution of Eminence Deemed to be University should satisfy the following provisions:
 - (i) It should be an Institution which has been established as a private Deemed to be University satisfying all the provisions of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 or established under a law made by a Legislative Assembly of any State satisfying all conditions laid down under UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003 as amended; or it should make a completely new proposal to establish an Institution of Eminence Deemed to be University.
 - (ii) The Sponsoring Organization shall be not-for-profit society or a public trust or a company constituted under Section 8 of the Companies Act, 2013.
 - (iii) The Sponsoring Organization for greenfield institutions should have members whose total net worth is at least Rupees five thousand crore collectively. For existing institutions, the total networth of all members of Sponsoring Organisation should be Rupees three thousand crore collectively.
 - (iv) The Sponsoring Organization should have atleast some members whose credentials, as borne out by their record and to the satisfaction of the Empowered Experts Committee, indicate that they are committed to the objectives laid out in Regulation 4.
 - (v) The Sponsoring Organisation should have identified the first Chancellor and first Vice-Chancellor and the core team who will implement the work of setting up the Institution of Eminence Deemed to be University. All of them should have very high qualifications and wide experience.

- (vi) The institutions of Eminence Deemed to be Universities should have corpus fund and other financial resources as specified in Regulation 4.2.11.
- (vii) A detailed fifteen year strategic vision plan and a five year rolling implementation plan, with clear annual milestones and action plans on how the new Institution of Eminence Deemed to be University is to be set up, with identifiable outputs and outcomes and how it plans to meet the criteria for attaining the status of an Institution of Eminence Deemed to be University, as laid down in Regulation 4.
- (viii) The governance structure of the Institution of Eminence Deemed to be University should be distinct from the governance structure of the Sponsoring Organization. The apex Governing Body of the University should consist of members whose credentials indicate that they can contribute to achievement of the objectives laid out in Regulation 4, and not be mere representatives of some section or entity. The Sponsoring Organisation and the apex Governing Body of the University should be separate body corporate, though there could be a few members from Sponsoring Organisation in the apex Governing Body to leverage the full commitment of sponsors to deliver the desired outcomes in a very short-time frame. The governance structure should demonstrate the sponsor's commitment to an arms-length relationship between the two entities.
- (ix) It should have sufficient evidence to show that it has experience in translating plans into real achievements in any field (not necessarily in the field of higher education, but preferably in it) as per its plans.
- (x) In case of institutions established under a law passed by a Legislative Assembly of a State, they should submit an undertaking from the respective State Government that, if the University is selected as an Institution of Eminence, then:
 - i) If there is an exit clause in the existing legislation governing the institution, then the State Government would withdraw its status as an institution under the said legislation and allow it to become an Institution of Eminence Deemed to be University or
 - ii) If no such exit clause is there in the existing legislation governing the institution, then State Government would introduce an appropriate legislation in the State Legislature withdrawing its status as an institution under the said legislation.
- (xi) In case of existing institutions, appropriate consideration will be given at the time of selection to their record of adherence to the principles mentioned in Regulation 4.

7.0 EMPOWERED EXPERTS COMMITTEE

7.1 Appointment

There shall be an Empowered Experts Committee (EEC) consisting of three to five eminent persons appointed for a period of three years. The member/s shall be eligible to be reappointed for one or more terms of three years each. They will be reputed and credible individuals who have contributed to education, other public issues, economic growth and social development for a minimum period of ten years. They should have had an exceptional and untarnished record in their respective fields of excellence, and an incontrovertible and demonstrated commitment to public causes. The members of the Committee would be appointed by the Commission as advised by the Central Government, which would send the names to the Commission after taking the approval of the Appointments Committee of Cabinet (ACC). A panel of names shall be sent to ACC on the recommendation of Search Committee consisting of Cabinet Secretary as Chairperson and Secretary (Higher Education) and Chairperson (UGC) as members. ACC may either approve the names recommended by the search committee or may substitute any or all the names recommended.

7.2. Powers and functions of the EEC

The power and functions of the EEC shall include:

(i) Scrutinizing and appraising the proposals submitted by existing Private Institutions desirous of being declared as an Institutions of Eminence Deemed to be University and from Sponsoring Organizations desirous of setting up new Institutions of Eminence Deemed to be Universities.

- (ii) Making recommendations to the Commission for the purposes of selection of Institutions of Eminence Deemed to be Universities, in accordance with Regulation 8.4.
- (iii) Monitoring and reviewing of implementation plans of Institutions of Eminence Deemed to be Universities, in accordance with Regulation 13.
- (iv) Conducting review of Institutions of Eminence Deemed to be Universities in order to ensure quality, as provided for in Regulation 11.6.2
- (v) Evolving such other monitoring and review systems with the objective of guiding and supervising the growth of Institutions of Eminence Deemed to be Universities.
- (vi) Deciding on appeals against the decision of a domestic accreditation body on relevant accreditation of the Institutions of Eminence Deemed to be Universities.
- (vii) Deciding on changes in transfer of sponsorship from any or all of the original sponsors of Institutions of Eminence Deemed to be Universities.
- (viii) Making recommendations to the Commission with respect to the liquidation of the Corpus Fund of an Institution of Eminence Deemed to be University.
- (ix) Calling for the accounts of the Institution of Eminence Deemed to be Universities to verify compliance with the corpus and other additional guaranteed and committed financing requirements.
- (x) Assessing deviations from the goals of Institutions of Eminence Deemed to be Universities and making recommendations to the Commission regarding Penalties for the same.
- (xi) Examining proposals on issues not covered in the regulations and making recommendations to the competent authorities.

8.0 PROCEDURE FOR DECLARATION AS AN INSTITUTION OF EMINENCE DEEMED TO BE UNIVERSITY

8.1 Call for application

The Commission shall call for applications, to be submitted to the Ministry of Human Resource Development, both from existing Private Institutions desirous of being declared as an Institution of Eminence Deemed to be University and also from Sponsoring Organisations desirous of setting up new Institutions of Eminence Deemed to be Universities. The advertisement shall be issued both in print media and also shall be put on the website of Commission and the Ministry of Human Resource Development. A minimum time of ninety days should be provided for submitting applications from the date of the advertisement.

8.2 Application

- 8.2.1 An application in specified format may be made by the Chancellor of an existing Private Institution Deemed to be University / existing Private University and by Sponsoring Body for an institution yet to established to the Ministry of Human Resource Development, along with a processing fee of Rupees one crore by way of Demand Draft drawn in favour of The Secretary, University Grants Commission. The processing fee is refundable to the extent of Rupees seventy five lakh to the applicant who are not selected as Institutions of Eminence.
- 8.2.2 Every application should have two parts, a fifteen year strategic vision plan as well as a five year implementation plan. The former would be the long-term strategic plan to meet the objectives and characteristics of an Institution of Eminence and shall also contain the quantified milestones and timelines for the institution to achieve world-class repute as laid down in Regulations 3 and 4. The implementation plan should contain detailed and tangible annual action plans to achieve the objectives laid out in the strategic plan.

8.3 Accompanying documents

Each application should be accompanied by the following (as applicable as per the Category of the Institution under Regulation 1.2):

(a) Details of members / directors of the Sponsoring Organization.

- (b) The guiding documents of Sponsoring Organisation (such as Memorandum of Association or Trust Deed) which should clearly lay down that research & education is one of the main objectives.
- (c) Supporting documents to satisfy the eligibility condition on net worth given in Regulation 6.1 (iii).
- (d) Supporting documents to satisfy the eligibility conditions on corpus and financial resources given in the Regulation 6.1 (vi).
- (e) There should be an in-principle commitment from the concerned persons to make available adequate land for the development of the Institution of Eminence Deemed to be University.
- (f) Governance structure, including apex Board, and the nature of relationship between the proposed Institution of Eminence Deemed to be University and the Sponsoring Organization.
- (g) Name and details of the Chancellor, first Vice Chancellor and the core team who will implement the work of setting up of the proposed Institution of Eminence Deemed to be University.
- (h) Details of a five year implementation plan to establish the foundations of an Institution of global repute and consisting of the following:
 - (i) An academic plan showing the courses proposed and their schedule of offering.
 - (ii) A faculty recruitment policy and plan meet the academic plan requirements. The faculty plan should strive to maintain the faculty-student ratio of atleast 1:10. A proportion of the faculty should have either studied or worked in the top-tier global Universities. This should also contain information about any proposal to draw faculty resources from industry, government, non-profit organisations etc.
 - (iii) A student admissions policy and plan to select Indian and foreign students and expand the enrolment to the desired level as mentioned in Regulation 4.2.18. The admissions policy should also contain the details of the scholarships that will be provided to ensure that meritorious selected students without adequate financial capability are not turned away.
 - (iv) A research plan indicating the research laboratories and other facilities proposed to be established. In case of humanities, social science and other interdisciplinary faculties, the research plan should indicate the broad areas and nature of field work and research sought to be done.
 - (v) A networking plan outlining the teaching and research collaborations and partnerships with private sector and foreign universities, research institutions, think-tanks, labs etc. that are proposed to be put in place.
 - (vi) An infrastructure development plan that would meet the proposed academic and admissions plans as well as all student and other amenities.
 - (vii) A financing plan, with details of the sources and estimated amounts, to meet the aforementioned plans as well as modalities for their transfer to the proposed Institution of Eminence Deemed to be University.
 - (viii) An administrative plan for getting accreditation from national and international agencies, as well as marketing and promotion.
 - (ix) A governance plan that indicates the proposed Institution of Eminence Deemed to be University's institutional structure and how it overlaps with ownership, decision-making processes and social engagement. This governance plan should be committed to the highest global standards of transparency, accountability, and efficiency.
 - (x) All these plans should signal the clear commitment of the promoters to achieve the objectives and characteristics laid down in Regulation 3 & 4 and should have actionable items with clear and quantified milestones and timelines.
 - (xi) The objective should be that the proposed Institution of Eminence Deemed to be University should stabilize and establish credibility to be on a path to become a university of global repute in the first fifteen years.

- (i) The five year implementation plan would be recast for each five year cycle, so as to achieve the objectives outlined in the fifteen year strategic plan.
- (j) A bank guarantee for Rupees ten crore, which would be forfeited if the proposed Institution of Eminence Deemed to be University is not set up within the given time.
- (k) A plan to implement the accounting standards of educational institutions as well as double independent tracking of Accounts, expenditure and reinvestment.
- (1) In case of State Private University, an undertaking from the State Government specified in Regulation 6.1 (x).
- (m) Any other information or document which the advertisement/ application format specifies.

8.4 Selection of Institutions of Eminence Deemed to be Universities

After the receipt of application, a two stage approval process would be followed – issue of Letter of Intent (LOI) initially and finally issue of order for declaration as an Institution of Eminence Deemed to be University. The applications shall be processed in the following manner:

- (a) The Ministry of Human Resource Development will forward all applications received by the last date to the Commission which would entrust it to the Empowered Expert Committee.
- (b) Simultaneously, the Commission shall also address the State Government, where the Institute is proposed to be located in case of a new Institution yet to be established, asking for its no objection, and if the State Government objection is not received in three weeks time, it shall be presumed that it has no objection.
- (c) The Empowered Expert Committee shall conduct its appraisal based on the documents submitted by the applicant as well as any other measure of demonstrated commitment to the cause of developing an Institution of Eminence. This appraisal will be a table one, involving scrutiny of papers submitted, along with multiple interactions with the representatives of the Sponsoring Organizations, and may also involve any field visit. The Empowered Experts Committee shall engage with the Institutions to study their proposals, hear presentations from them and after a thorough scrutiny, rank the Institutions for their suitability for inclusion in this scheme, based on which the Empowered Experts Committee would make its recommendations. The EEC will also give names of additional institutions apart from the ten institutions in order of merit as reserved institutions.
- (d) The recommendations of the Empowered Expert Committee shall be submitted to the Commission, which shall forward it to Ministry of Human Resource Development within fifteen days of receipts of the recommendations.
- (e) The Ministry of HRD will issue a Letter of Intent (LOI), or otherwise, within two weeks of receipt of the recommendations under Regulation 8.4(d).
- (f) The EEC will conduct yearly review of the progress made by the Institutions to whom LoI has been issued, to ascertain whether the progress made by the institute is commensurate with time considering that Institute has to be ready for commencing the academic operations within the time stipulated in LOI. In case EEC is satisfied that the progress of any institute is not commensurate, it will ask the Institution to rectify the situation within a time frame prescribed by EEC and if still not rectified by the end of the time period given, the EEC may recommend withdrawal of LOI of that institute. The Government will examine the recommendation and may pass orders cancelling LOI and may also issue LOI to the next Institute in the reserve list.
- (g) The Sponsoring Organization in case of new Institution or the University, in case of existing Institution, will set up or upgrade, as the case may be, the Institution and indicate its readiness for commencing academic operations, as per the plan within three years of issue of Letter of Intent. For extension of this period for a maximum six months, it will have to apply to the Ministry of Human Resource Development specifically for the same giving the reasons for delay.
- (h) Once the indication for readiness for commencing academic operations is received in the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Human Resource Development shall send it to Commission which shall ask the Empowered Experts Committee to do an assessment of readiness in thirty days' time and send the report to the Commission. The report of Empowered Experts

Committee shall be placed before the Commission, which shall forward it to the Ministry of Human Resource Development, within fifteen days.

- (i) The Institution can also get the assessment done, in parallel, if it wishes too, through a third party international agency which has accredited at least ten Institutions from the top hundred Institutions in a reputed global ranking index. In case of difference between Empowered Experts Committee assessment and the independent assessment, the Empowered Experts Committee shall re-examine the proposal and its conclusions will be final.
- (j) Based on the recommendations of the Empowered Experts Committee, as approved by the Commission, the Ministry of Human Resource Development, shall issue orders on selection of Institutions under this scheme.
- (k) The LOI issued to the Sponsoring Organisation is non transferable. The composition of Sponsoring Organisation cannot be changed. In exceptional circumstances like death and bankruptcy, the EEC, for the reasons to be recorded in writing, may allow, the composition of the sponsoring Organisation to be changed, subject to the condition that the new Member / Members satisfy to the EEC, the condition given in Regulation 6.1(iv).

8.5 SIGNING OF Memorandum of Understanding

The strategic and implementation plans for each Institution of Eminence Deemed to be University would be converted into a Memorandum of Understanding (MoU) that shall guide and govern the development of the Institution during that period. It shall be revised every five years to incorporate the new implementation plan. In case of an existing Private University under a law passed by the Legislative Assembly of a State, such a Memorandum of Understanding shall be signed only after it ceases to be a Private University.

8.6 NOTIFICATION

After signing of the Memorandum of Understanding, the Government shall issue a notification within thirty days declaring the Institution as an Institution of Eminence Deemed to be University. If it is an existing Deemed to be University, such a notification shall automatically imply that the Institution is no longer a Deemed to be University under UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016, but an Institution of Eminence Deemed to be University under this Regulation.

9.0 GOVERNANCE SYSTEM

9.1 The Governance structure of the Institution of Eminence Deemed to be University should be distinct from the governance structure of the Sponsoring Organization. The apex governing body of the Institution of Eminence Deemed to be University should consist of members / directors whose credentials indicate that they can contribute to achievement of the objectives laid out in Regulation 4, and not be mere representatives of some entity. The Sponsoring Organisation and the apex Governing Body of the University should be separate body corporate, though there could be a few members from Sponsoring Organisation in the apex Governing Body to leverage the full commitment of sponsors to deliver the desired outcomes in a very short-time frame. The governance structure should ensure an arms-length relationship between the two entities.

10.0 FUNDING

There shall be no funding by the Central Government either to existing Private Institutions which have been declared as Institutions of Eminence Deemed to be Universities or to the newly established private Institutions of Eminence Deemed to be Universities under this scheme. However, this would not exclude them for accessing Government funds allocated for specific studies/projects which they may execute.

11.0 ADDITIONAL INCENTIVES

The Institutions of Eminence Deemed to be Universities selected in the aforesaid manner shall have additional incentives. These incentives would be available to all Institutions of Eminence Deemed to be Universities under these Regulations. As such, consistent with the national policy objective of creating an enabling regulatory architecture for these Institutions of Eminence Deemed to be Universities, the Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall, upon declaration as

Institutions of Eminence Deemed to be Universities, be governed by the provisions of this Regulation. In particular, such Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be exempt from all UGC Regulations and other guidelines, notifications and orders of the Commission on matters pertaining to the subject areas laid down in Regulation 11.1 to 11.6 of these Regulations.

11.1 Admission and Fees Structure:

- 11.1.1 While domestic students shall have to be selected through a transparent merit based system (which can be designed by the Institution of Eminence Deemed to be University itself), the Institution of Eminence Deemed to be University would be free to admit foreign students on merit as per its internal policies, subject to a maximum of additional thirty percent of the strength of admitted domestic students.
- 11.1.2 The Institution of Eminence Deemed to be University would be free to fix fees, for both domestic and foreign students as per its internal policies, and would be exempted from any fee regulations which may be there in force. However, fee should be fixed in a transparent and upfront manner without any hidden charges to be taken from students. In addition, charging of capitation fee is prohibited and any incident of such charging shall be treated as a serious violation necessitating provisions of penalty as per the law.
- 11.1.3 While fees can be charged from foreign students without restriction, the freedom to determine the domestic student fees shall be subject to the condition that no student who gains admission on merit should be turned away for lack of financing, for which the Institution of Eminence Deemed to be University shall create a credible and robust programme of financial assistance in the form of scholarships and loans to ensure that such students can pursue higher studies without any financial difficulty.
- 11.1.4 Since no existing fee regulation guidelines are to be applicable to such Institutions of Eminence Deemed to be Universities, they will have to set up the institution of Ombudsman to cater to student grievances and allegations of unfair practice, if any. The contact details of the Ombudsman shall be prominently displayed by the Institution of Eminence Deemed to be University on its website, prospectus and at the premises.

11.2 Flexibility in course structure

- 11.2.1 The Institution shall have the freedom to offer courses within a programme as well as to offer degree in newer areas, after approval of its Governing Council and subject to broadly conforming to minimum prevailing standards, without consulting the Commission but with intimation to it.
- 11.2.2 The Institution of Eminence Deemed to be University shall also have flexibility of course structure in terms of credit hours and number of years to take a degree, after approval of its Governing Council and subject to broadly conforming to minimum prevailing standards.
- 11.2.3 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have complete flexibility in fixing of curriculum and syllabus, with no UGC mandated curriculum structure.
- 11.2.4 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have the freedom to offer online courses as part of its programmes (subject to a limit of twenty percent of any programme). However, this twenty percent restriction would not preclude the Institution of Eminence Deemed to be University from offering certificate courses entirely through online mode.

11.3 Recruitment of faculty:

- 11.3.1 The Institution of Eminence Deemed to be University may recruit faculty from India and abroad. The approach should be to attract the most talented people, no matter where they come from, who are open to new ideas and approaches.
- 11.3.2 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have complete autonomy in the appointment of faculty, promotions etc including the autonomy to offer them emoluments and perks commensurate with their standing as it deems fit.
- 11.3.3 The Institution of Eminence Deemed to be University is free to adopt any career progression scheme for its faculty and the UGC Career Advancement Scheme and associated Regulations pertaining to the

- same shall not be automatically applicable in such Institutions of Eminence Deemed to be Universities.
- 11.3.4 The Institution of Eminence Deemed to be University may hire personnel from industry, etc. as faculty, who, while being experts in their areas, may not have the requisite higher academic qualifications.

11.4 Academic collaborations:

- 11.4.1 Academic collaborations with foreign higher educational institutions ranked in top 500 in global rankings shall be exempt from approvals by the Government or the Commission, except with Institutions from negative list of countries determined by the Ministry of External Affairs or the Ministry of Home Affairs.
- 11.4.2 The Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be free to enter into academic collaborations with Institutions within the country.

11.5 Financial Autonomy:

11.5.1 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have complete financial autonomy to spend the resources raised and allocated.

11.6 Inspection:

- 11.6.1 The existing UGC Regulations relating to inspection shall not apply to these Institutions of Eminence Deemed to be Universities.
- 11.6.2 However, the Institution of Eminence Deemed to be University shall work out the details of a self-disclosure-cum-review mechanism to ensure quality, with review being done by the Empowered Expert Committee. The Committee may, if it deems necessary, take assistance of teams consisting of experts from internationally ranked Institutions and from Institutions of National Importance.

12.0 GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM

The Institution of Eminence Deemed to be University shall appoint an Ombudsman to deal with grievances of students and faculty and allegations of unfair practice. The ombudsman selected should be independent of the institution or the management now or in the recent past and concurrence of Empowered Expert Committee shall be taken before appointment of the ombudsman. The contact details of the Ombudsman shall be displayed prominently in the campus, on the homepage of the Institution of Eminence Deemed to be University's website and in the prospectus.

13.0 MONITORING AND REVIEW

- 13.1 The Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be reviewed once in three years after their notification as such by the Ministry of Human Resource Development by the Empowered Expert Committee for adherence to their implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans. The monitoring and review shall continue till the Institution of Eminence Deemed to be University gets into top one hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier.
- 13.2 However, the Institutions shall inform the Empowered Experts Committee every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans, in a manner so prescribed by the Committee.
- 13.3 The Empowered Experts Committee may also evolve such other monitoring and review systems, especially in the initial years, with the objective of guiding and supervising the growth of the Institution of Eminence Deemed to be University.
- 13.4 Apart from this, the Empowered Experts Committee may require the Institutions to annually selfreport and publicly display certain information relating to compliance with their implementation and strategic plans,
- 13.5 The annual review exercise should be completed by June each year.
- 13.6 The Committee may suggest remedial action to address deficiencies, if any. The Institution of Eminence Deemed to be University shall take steps to address them within a reasonable time period.

14.0 ACCREDITATION and RANKING

- 14.1 The Institution of Eminence Deemed to be University, within five years of its notification will have to get accreditation as per Regulation 4.2.15.
- 14.2 The Institution of Eminence Deemed to be University, within five years of its notification declaring it as an Institution of Eminence Deemed to be University, shall get itself ranked in the National Institutional Ranking Framework and in an International Ranking index of repute. An existing Institution which has been declared Institution of Eminence Deemed to be University should start getting ranked from the year when it gets a Letter of Intent. All Institutions should then continue to get themselves ranked in the National and International ranking frameworks.

15.0 RESERVATION POLICY

The Public Institutions of Eminence shall implement the reservation policy in admissions and recruitment in accordance with any Act of Parliament for the time being in force.

16.0 INSTITUTION TO BE UNITARY

The Institution of Eminence Deemed to be University shall be a unitary Institution Deemed to be University and shall not affiliate any other Institution.

17.0 USE OF THE WORD 'UNIVERSITY'

The Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "Institution of Eminence Deemed to be University" within parenthesis suffixed thereto.

18.0 PROHIBITION OF USE OF CERTAIN WORDS IN NOMENCLATURE

Institution of Eminence Deemed to be University shall not be permitted to use the words, "Indian" or "National Institute" in their respective names unless they have been established by the Central Government or State Government.

19.0 DISTANCE EDUCATION

The Institution of Eminence Deemed to be University may offer courses under distance mode, without any approvals, in accordance with the minimum standards laid down by the Commission. This provision shall also apply to Government owned and controlled Deemed to be Universities which have been declared Institutions of Eminence under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.

20.0 CORPUS FUND

- 20.1 In the case of Institutions of Eminence Deemed to be Universities not owned or controlled by the Government, a Corpus Fund as mentioned in Regulation 4.2.11 shall be created and maintained permanently in the name of the Institution of Eminence Deemed to be University.
- 20.2 The Corpus Fund shall not be liquidated without prior permission of the Empowered Experts Committee.
- 20.3 The interest accrued on the Corpus Fund may be used only for the purpose of development of the Institution of Eminence Deemed to be University.
- The Empowered Experts Committee may call for the accounts of the Institution of Eminence Deemed to be University to verify compliance with the corpus and other additional guaranteed and committed financing requirements. In the event of withdrawal of the declaration of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status the Corpus Fund shall stand forfeited to the Commission for meeting the liabilities, if any (including any penalty), and the balance would be returned after meeting the liabilities within one year.

21.0 PENALTIES

If the Institution of Eminence Deemed to be University is unable to meet the goals at the end of the fifth and subsequent years and there are grave deviations, as determined by the Empowered Expert Committee, from the implementation plan, the Empowered Experts Committee may make appropriate recommendations to the UGC which shall forward it to the Ministry of Human Resource Development to take action under these Regulations.

- 21.2 The Ministry of Human Resource Development, on recommendation of the Empowered Experts Committee as forwarded by the UGC, may take any one or more of the actions given below:
 - a) Withdrawing of any or all additional incentives given to it under these Regulations.
 - b) Removal of the Institution of Eminence status and replacing it by ordinary Deemed to be University status, wherein it shall be deemed to be set up under UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.
 - c) Removal of Institution of Eminence Deemed to be University status and asking it to get affiliated to any existing State University.
 - d) Stopping of admissions for specified number of years.

22. AUDIT

The Institution of Eminence Deemed to be University shall be audited every year by a Chartered Accountant and the audit report shall be sent to Commission within nine months of the completion of the financial year.

For the purposes of this Regulation, "Charted Accountant" shall have the same meaning as contained in the Charted Accountants Act, 1949.

23. MISCELLANEOUS:

- 23.1 In case there is any difficulty encountered in the course of implementation of any of the provisions, the Government, with intention to remove the difficulty, may give suitable clarifications, not amounting to change in Regulation itself.
- 23.2 The Empowered Experts Committee shall examine proposals on issues not covered in the Regulations and make recommendations to the Competent Authorities.
- 23.3 UGC will provide all secretarial assistance to the programme, including to the Empowered Expert Committee including honorarium to be paid to the members. The expenditure on account of accessing any expert either domestic or international by Empowered Expert Committee shall also be borne by UGC. There shall be no provision for creation of posts.

P. K. THAKUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./205/17]